

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(2)(2)/पंचा/रानिआ/2021/5910

दिनांक: 29/11/2021

प्रेस-नोट

आयोग द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 30.09.2021 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए जिला परिषद सदस्यों के 2 एवं पंचायत समिति सदस्यों 14 के पदों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त दो उप प्रधान के रिक्त पदों पर भी उपचुनाव कराए जाने हैं। जिलेवार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

उप चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	07.12.2021 (मंगलवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	10.12.2021 (शुक्रवार) प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	11.12.2021 (शनिवार) प्रातः 11.00 बजे से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	13.12.2021 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	13.12.2021 (सोमवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
7	मतदान की तिथि	21.12.2021 (मंगलवार)
8.	मतदान का समय	प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक
9.	मतगणना (जिला मुख्यालय पर)	23.12.2021 (गुरुवार) प्रातः 9.00 बजे से
10	उपप्रधान का चुनाव	24.12.2021 (मंगलवार)
11	उपप्रधान के चुनाव की बैठक की समय सारणी	
1	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
2	नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे से
4	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 1.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीको का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना	अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त बाद
6	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, उसका समय	अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य
7	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा	सायं 5.00 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद, जो भी पहले हो

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के उप चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से संपन्न कराए जायेंगे।

20.9.21

मतदाताओं की पहचान

राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल हैं।

कोविड-19 संक्रमण से बचाव

आयोग द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु दिनांक 23.11.2021 को संशोधित गाईडलाईन जारी की हैं। निर्वाचन गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईनों की पूर्ण रूप से पालना करें।

मतदान दलों में भी ऐसे कार्मिकों को ही नियुक्त करने के निर्देश भी प्रदान किए हैं जिनको कोरोना टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी हों। इसके अतिरिक्त मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ताओं हेतु भी ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जिन्हें कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी हो।

• आदर्श आचरण संहिता

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

संलग्न : परिशिष्ट-अ

आज्ञा से,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक: 29/11/2021

क्रमांक: एफ. 7(2)(2)/पंचा/रानिआ/2021/5911-5915
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/सामान्य प्रशासन/कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
5. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।

अशोक कुमार जैन
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर

पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के माह दिसम्बर, 2021 में होने वाले उपचुनाव हेतु रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक	उप-प्रधान
1	2	3	4	5	6
1.	बाडमेर	-	चौहटन	23	
2.	भीलवाड़ा	14	शाहपुरा	3	
3.	बूंदी	-	बून्दी	14	
4.	चुरू	-	राजगढ़	14	
		-	तारानगर	3	
		-	सरदारशहर	2	उप-प्रधान
5.	दौसा	-	बैजूपाड़ा	16	
6.	डूंगरपुर	-	आसपुर	1	
7.	जयपुर	-	मोजमाबाद	-	उप प्रधान
		-	तुंगा	2	
8.	जैसलमेर	-	सांकड़ा	4	
9.	नागौर	-	खींवरसर	17	
10.	प्रतापगढ़	-	दलोत	5	
11.	राजसमन्द	-	आमेट	12	
12.	उदयपुर	1	झल्लारा	2	
कुल		2		14	2

- चित्रा
29/11/2021